भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4663
सोमवार, 22 जुलाई, 2019/31 आषाढ़, 1941 (शक)

बेरोजगारी की समस्या

4663. श्री ओम पवन राजेनिंबालकरः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में रोजगार की समस्याओं को देखते हुए युवाओं और श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा शुरू किए गए 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की स्थिति का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इसके तहत जरूरतमंद व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है;
(घ) इसके तहत जरूरतमंद लोगों को किस प्रकार रोजगार मिल रहा है; और
(ङ) क्या हर साल उस्मानाबाद को प्रभावित करने वाले सूखे के कारण वहां से लोगों के पलायन को रोकने के लिए 'भेल' जैसी कंपनियों की कोई इकाई उस्मानाबाद में स्थापित की जा सकती है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए) और पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है।

इनके अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार प्राप्त करवाने हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

भारत सरकार ने निवेश को सुकर बनाने, नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने, निर्माण-संबंधी श्रेष्ठतम ढ़ांचा बनाने, व्यापर करने को आसान बनाने तथा कौशल विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से 2014 में मेक इन इंडिया पहल की शुरूआत की। मेक इन इंडिया पहल के तहत कार्याकलाप केंद्र सरकार के अनेक मंत्रालयों/विभागों एवं राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इनके ब्यौरे का रख-रखाव केंद्रीय रूप से नहीं किया जाता है।

भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय में उस्मानाबाद में भेल जैसी कम्पनियों की किसी इकाई को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****